Regarding demands of EPS- 95 pensioners

श्री नरेश गणपत म्हस्के (ठाणे) : सभापति महोदया, मैं ?एम्पलाइज पेंशन स्कीम 95? पेंशन योजना के तहत पेंशन और उनकी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । देश भर के 78 लाख पेंशनर्स जो केन्द्रीय व राज्य सरकारों के उपक्रमों, निजी संस्थानों और फैक्ट्री से जुड़े हैं और न्यूनतम एक हजार रुपये प्रति माह पेंशन पर जीवनयापन कर रहे हैं । यह राशि वर्तमान परिस्थितियों में अपर्याप्त है और बुनियादी आवश्यकताओं व स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखती है । वर्ष 2013 में कोश्यारी समिति, वर्ष 2018 में श्रम संसदीय समिति और ईपीएफओ की उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये प्रति माह होनी चाहिए । पेंशनर्स पिछले 7-8 वर्षों से इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं । उनकी आवाज अब तक अनसुनी रही है । सरकार से मेरा निवेदन है कि ईपीएस-95 पेंशन योजना में तत्काल संशोधन किया जाए और न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्रतिमाह किया जाए । इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया जाए । पेंशनर्स व उनके परिवारों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए । उससे न केवल पेंशनर्स का जीवन बेहतर होगा, बल्कि उनके दशकों के योगदान का सम्मान भी होगा । सदन और सरकार का दायित्व है कि इन वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता दे और उन्हें न्याय प्रदान करे ।